पत्र संख्या- 2280

बिहार सरकार

निबंधन विभाग

प्रेषक

श्री विक्रमा प्रसाद

सहायक निबन्धन महानिरीक्षक, बिहार, पटना ।

सेवा में,

अध्यक्ष

ग्रामीण समाज कल्याण संस्थान

काशीपुर, समस्तीपुर ।

पटना, दिनांक 24/2/84

विषय संस्था के आलेख्य की यथार्थ अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय

उपरोक्त विषयक संस्था के आलेख्य स्मृति पत्र एवं नियमावली की यथार्थ अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत किया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

22.2.84

सहायक निबन्धन महानिरीक्षक, बिहार, पटना ।



ग्रामीण समाज कल्याण संस्थान, काशीपुर

का

स्मृति- पत्र

1. संस्था का नाम:- ग्रामीण समाज कल्याण संस्थान, काशीपुर ।
2. निबंधित कार्यालय:- इस संस्था का निबंधित कार्यालय- महल्ला -काशीपुर, समस्तीपुर। जिला- समस्तीपुर, बिहार होगा ।
3. कार्यक्षेत्र- इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा ।
4. उद्देश्य :-

क- मानव जाति के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विकास के लिए कार्य करना ।

ख- हस्तकला, चित्रकला, लोकनृत्य, संगीत, का विकास करते हुए कला, विज्ञान, मेधावी युवकों एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना ।

ग- आधुनिक तकनिकी के अधिवेशन के अन्वेषण एवं उस पर आधारित शोध केन्द्रे की स्थापना एवं विकास करना है।

घ- विज्ञान, कला, नवीनतम खोज, पर सेमीनार संगोष्ठी आदि करना ।

ङ- पर्यावरणीय एवं वानिकी कार्यक्रमों के नियोजन सम्बर्द्धन एवं समन्वयण की दिशा में कार्य करना तथा पर्यावरण शिक्षा का प्रचार करना ।

च- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, धार्मिक आर्थिक, सामाजिक, भाषार्य दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग, महिला, युवक, विकलांग विधवा, परित्यक्ता, वृद्ध एवं बच्चों के लिए कल्याण, नियोजन, प्रशिक्षण, सुरक्षा, होस्टल तथा उत्पादन केन्द्रों की व्यवस्था कर संचालित करना तथा उस पर होने वाले अत्याचार शोषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सजग रहना ।

छ- सबके लिए स्वास्थ्य योजना के विभिन्न आयामों पर कार्य करना तथा परिवार कल्याण एवं पोषणाहार उत्पन्न कर सजग रहना ।

ज- प्राकृतिक आपदा एवं आकस्मिक दुर्घटना से प्रभावितों के लिए पूर्नवास की व्यवस्था करना ।

झ- मछुपालन, कृषि उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना एवं उसके विकास से संबंधित शोध केन्द्रों का निर्माण एवं विकास करना ।

4- निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता का नाम, पद, पेशा, नीचे दिया गया है, वर्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, जिनपर संस्था के नियमानुसा प्रबन्ध का भार सौंपा गया है ।

क्रमांक	नाम/पिता का नाम	पता	पद	पेशा
1-	श्री रविरंजन भारद्वाज पिता-श्री रामदेव झा	चैता, समस्तीपुर थाना-अंगारघाट	अध्यक्ष	समाजसेवा
2-	सुश्री अर्चना कुमारी पिता-स्व० सुभंकर मिश्र	ग्राम-बाड़ा खोदावनपुर जिला- बेगूसराय	उपाध्यक्ष	"
3-	श्री संतोष कुमार झा पिता-श्री सुन्देश्वर झा	चैता अंनगारघाट जिला- समस्तीपुर	सचिव	"
4-	श्री विष्णुदेव महतो पिता- श्री रामअौतार महतो	चैता अंनगारघाट जिल०-समस्तीपुर	कोषाध्यक्ष	"
5-	श्री सुदीन झा पिता-स्० ललित झा	ग्राम-मधुबनी, पो०- पताही, मुजफ्फरपुर ।	सदस्य	"
6-	दिनेश मिश्र पिता-स्व० सुभंकर मिश्र	बाड़ा खोदावनपुर बेगूसराय ।	"	"
7-	श्री शशि रंजन झा पिता-श्री रामदेव झा	चैता अंनगारघाट समस्तीपुर ।	"	"

THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL REGISTRATION निबंधन के महानिरीक्षक का कार्यालय बिहार BIHAR

5- निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है। इस संस्था के स्मृति पत्र के अनुसार, इस संस्था के रूप परिणत होने तथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी हैं ।

क्रमांक	नाम	पता	पेशा	हस्ताक्षर
1-	श्री रविरंजन भारद्वाज	चैता अंनगारघाट समस्तीपुर	समाजसेवा	ह०-रविरंजन भारद्वाज
2-	कुमारी अर्चना	बाड़ा खोदावनपुर बेगूसराय ।	"	ह०- कुमारी अर्चना
3-	संतोष कुमार झा	चैता अंनगारघाट समस्तीपुर ।	"	ह०- संतोष कु० झा

1	2	3	4	5
4-	विष्णुदेव महतो	चैता अंनगारघाट समस्तीपुर	समाजसेवा	ह0- विष्णु देव महतो
5-	मुदीन झा	मधुबनी पताही मुजफ्फरपुर ।	"	ह0-मुदीन झा
6-	दिनेश मिश्र	बाड़ा खोदावनपुर बेगूसराय	"	ह0-दिनेश मिश्र
7-	श्री शशि रंजन झा	चैता अंनगारघाट, समस्तीपुर ।	"	ह0-शशि रंजन झा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर की है ।

हस्ताक्षर- सत्य नारायण पाण्डेय

पता- मुखिया, चैता

31-5-94

पेशा-

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

22.2.94

पढ़ा-

स्वं तुलना-

2/2/94.

× वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना.



ग्रामीण समाज कल्याण संस्था
की
नियमावली

1. परिभाषा :-

क- संस्था का अर्थ होगा :- ग्रामीण समाज कल्याण संस्थान काशीपुर ।
समिति का अर्थ होगा- संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
ग- पदाधिकारी का अर्थ होगा- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
घ- वर्ष से अभिप्राय है :- 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक ।
ड.- ऐक्ट से अभिप्राय है :- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860.

2. सदस्यता :-

प्रत्येक व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो, जो संस्था का उद्देश्य एवं नियमों का पालन करते हो, वे इस संस्था का सदस्य बन सकते है। सदस्यता हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा । जिसकी स्वीकृति एवं अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायगी । प्रत्येक सदस्य को 11 रूपया प्रवेश शुल्क एवं 5 रूपया मासिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

3. सदस्यता की विमुक्ति :-

क- स्वयं त्याग पत्र देने पर।
ख- पागल या मृत्यु होने पर ।
ग- सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
घ- समिति से अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।
ड.- न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
च- बिना कारण बताये समिति की लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित होने पर ।

4. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

क- कार्यकारिणी समिति सात सदस्यों की होगी ।
ख- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा की जायेगी । निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है।
ग- समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की होगी ।
घ- अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो शेष अविधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को समिति मनोनीत कर सकती है। किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव कर लेना होगा ।

(५) कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य -

(क) संस्था के चल या अचल सम्पत्ति के उत्तरदायी होंगें ।

(ख) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना और प्रस्ताव पारित करना ।

(ग) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

(घ) उपशाखा का निर्माण करना ।

(६) पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार -

अध्यक्ष - (क) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

(ख) आवश्यकता पड़ने पर अपनी निर्णय मत द्वारा किसी विषय में निर्णय देना ।

(ग) कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना ।

उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों को देखना ।

सचिव- (क) बैठक का आयोजन करना ।

(ख) प्रत्येक पंजी एवं कागजात को सुरक्षित रखना ।

(ग) संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

(घ) संस्था के आय-व्यय का अंकेक्षण करना ।

(ङ) आवश्यकता पड़ने पर समिति की बिना पूर्व अनुमति के २५० रूपये तक व्यय करना ।

कोषाध्यक्ष- (क) संस्था के आय व्यय का हिसाब रखना तथा सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना ।

(ख) सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना ।

(ग) संस्था का कोष किसी निर्धारित बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से रकम की निकासी करना ।

(७) आम सभा के अधिकार एवं कार्य -

(क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

(ख) संस्था के आय व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।

(ग) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

८) बैठक -

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह में होगी ।

(ख) आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में होगी ।

(ग) आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।

९) अभिलाषित बैठक -

एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा । आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए । अगर सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते हैं तो आवेदक को अधिकार होगा आवेदन में लिखित विषय को निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरान्त बैठक आयोजन कर सकते हैं ।

१०) बैठक की सूचना-

कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना ७ दिन पूर्व दी जायेगी आम बैठक की सूचना १५ दिन पूर्व दी जायेगी । अत्यावश्यक बैठक की सूचना ४८ घंटे पूर्व दी जायेगी ।

११) कोरम - प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा ।

१२) आय का ~~क्षेत्र~~ स्रोत -

(क) प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता हेतु शुल्क -

(ख) सरकारी अनुदान एवं ऋण ।

१३) निधि का अंकेक्षण -

संस्था की आय-व्यय का अंकेक्षण नियमित रूप में रखा जायेगा तथा आम सभा द्वारा निर्धारित अंकेक्षण से प्रति वर्ष अंकेक्षित कराया जायेगा ।

१४) पंजी का निरिक्षण-

संस्था के सभी पंजियां निबंधन कार्यालय में रहेगा । जहां कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से पंजी का निरिक्षण कर सकते हैं ।

१५) नियमावली में संशोधन -

नियमावली में कोई भी संशोधन आम सभा के ३/५ सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित पर ही किया जा सकता है ।

१६) विघटन -

(क) अगर किसी कारणवंश संस्था का विघटन करना पड़े तो आम सभा के ३/५ सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

16- विघटन:

क) अगर किसी कारणवश संस्था का विघटन करना पड़े तो आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

ख) विघटन के उपरान्त ऋण इत्यादि भुगतान के बाद जो चल या अचल सम्पति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था को या सरकार को दे दी जायगी ।

17- कोष का संचालन:

कोषाध्यक्ष के द्वारा कोष का संचालन किया जायेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सत्य प्रतिलिपि है ।

हस्ताक्षर-

अध्यक्ष- रवि रंजन भारद्वाज

सचिव- संतोष कुमार झा

कोषाध्यक्ष- विष्णु देव महतो

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

22.2.18

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना.

पढा-
एवं तुलना- 22/2/18

Reg. No.: 206/1994-95 UID: BR/2009/0015803

GRAMIN SAMAJ KALYAN SANSTHAN

(Registered under societies registration Act 21,1860 , I.G.Registration,Registration Department, Govt.of Bihar ,12 A & 80G Regd. Under I.T. act 1961 & CSR-1 Regd. Under MCA)

Regd. Office

At & P.O. Rampur Dudhpura, Ward No.04, Near Chaiti Durga Asthan, College Road, P.S. & District –Samastipur , (BIHAR), PIN- 848104, Website: gramsks.org.in,Email – gramsks2007@gmail.com,

Ref. No.- GSKS **Date : 10/04/2025**

Present Managing Committee List (As on 10/04/2025)

Sl. No	Name & Address	Gender	Qualification	Aadhar No.	PAN	Designation
1	**Shri Ravi Ranjan Bhardwaj** S/O Late Ram Deo Jha At+Po – Dudhpura, W.No.04,Nagar Nigam, College Road, P.S & Distt- Samastipur, Bihar,PIN 848104	M	MSW	669462667861	AQAPB7633E	**Secretary**
2	**Smt Manorma Kumari** W/O Shailesh Kumar At & P.O. Musapur Ward No.02 Distt- Samastipur BIHAR, PIN 848101	F	12TH	855219974956	FKUPK9801A	**Chairman**
	Smt Ujala Kumari W/O Santosh Kumar At & P.O. Pokhraira, Distt- Samastipur BIHAR, PIN 848113	F	Graduate	365750900554	ZWOPK2544A	**Treasurer**
4	**Smt Kalyani Devi** W/O Sri Manoj Kumar Jha At&P.O.Rudauli,P.S & Distt- Samastipur, Bihar,PIN 848101	F	Graduate	806612558315	BTOPK4760R	**Member**
5	**Avnish Kumar** AT-Kashipur , P.O.& Distt. Samastipur Bihar,PIN-848101	M	MBA	961002952135	CAAPK9231R	**Member**
6	**Smt. Shalini Kumari** D/O Late Priyaranjan Prasad At - Musapur, Sonvarsha Chowk, P.O.Kashipur,District-Samastipur, Bihar PIN-848101	F	Graduate	616640334371	BMMPK7796L	**Member**
7	**Tabasum Khatoon** W/o Kaushar Ali Shekh, At- Murgiyachak, P.O. Rahimabad, Ward No. 13, P.S. Tajpur,Distt. Samastipur,Bihar, PIN-848130	F	10TH	863174108827	FSOPK3454F	**Member**

Certified that this is a true and certified copy 0f Resolution No.03,dated10/04/2025 of the annual general body meeting of the Gramin Samaj Kalyan Sansthan.

For Gramin Samaj Kalyan Sansthan

Secretary

(Ravi Ranjan Bhardwaj)